न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

जीसीएमएस नम्बर 2025/14

अपील (प्रकरण) संख्या :– 07/2025

उनवानी प्रकरण :–

व्यवस्थापक उचित मूल्य दुकानदार ग्राम सेवा समिति, सहकारी समिति (जी.एस.एस.) बदरैठा, पौसमशीन संख्या 9718 तहसील बाडी जरिये व्यवस्थापक ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्यामलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मुकुन्दापुरा बदरैठा तहसील बाडी जिला धौलपुर ----- अपीलान्ट

बनाम

---------- रेस्पोडेन्ट

जिला रसद अधिकारी धौलपुर

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 12.04.2021

मु0 नम्बर 1/21 द्वारा जिला रसद अधि0धौलपुर

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री अमित कुमार वधेला एडवोकेट

रेस्पोडेण्ट की ओर से :– सहायक लोक अभियोजक प्रथम

निर्णय दिनांक 28.04.2025

अपीलान्ट द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 12.04.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट के विरूद्व जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा एक नोटिस प्रचारित गया कि जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा दिनांक 2.1.2021 को बदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 बदरैठा तहसील बाडी एफ.पी.एस. कोड 9718 का निरीक्षण किया गया दौराने निरीक्षण जिला कलक्टर धौलपुर के निर्देशानुसार उपखण्डाधिकारी बाडी, गिरदावर नरेन्द्रसिंह, नरेश पटवारी तथा प्रवर्तन निरीक्षक हरवीर द्वारा मौके पर ग्राम सेवा सहकारी समिति बदरैठा का निरीक्षण किया गया, मौके पर लिये गये बयानात व मौके की स्थिति का कार्यालय रिकॉर्ड से मिलान करने पर राशन डीलर की उचित मूल्य दुकान बदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बदरैठा एफ.पी.एस. कोड 9718 का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान राशन डीलर द्वारा राशन वितरण में निम्नलिखित अनियमितताऐं पाये जाने का कथन किया गया कि :–

जिला कलक्टर
धौलपुर

1. राशन डीलर बदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बदरैठा ग्राम पंचायत बदरैठा के लिए अधिकृत थे जबकि राशन डीलर अनाधिकृत स्थल ग्राम खेरली खाद्यान्न भण्डार गोदाम से राशन सामग्री का वितरण करना पाया गया।

2. वक्त निरीक्षण मौके पर वदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बदरैठा एफ.पी. एस. कोड 9718 का सहायक व्यवस्थापक राजीव शर्मा ने बदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बदरैठा एफ.पी.एस. कोड 9718 की उचित मूल्य दुकान ग्राम खेरली ग्राम पंचायत नगला विधौरा के खाद्यान्न भण्डारण गोदाम से संचालित होना बताया मौके पर ग्राम खेरली ग्राम पंचायत नगला विधौरा के खाद्यान्न भण्डारण गोदाम में रखे स्टॉक का पोस मशीन संख्या 9718 व 9719 के रिकॉर्ड तथा जनवरी 2021 के चालान संख्या CHAW00005726856 के अनुसार भौतिक सत्यापन किया जिसमें मौके पर 72.15 क्विंटल गेंहू व 22 किलोग्राम चीनी मौके पर अधिक पायी गयी तथा 824 किलोग्राम चना मोके पर कम मिला।

3. बदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बदरैठा एफ.पी.एस. कोड 9718 द्वारा माह दिसम्बर 2020 के वितरण में उपभोक्ताओं का पॉश मशीन से 99.57 क्विटल गेंहू व 26 किलोग्राम चीनी का वितरण करना परन्तु भौतिक रूप से उन्हें राशन सामग्री वक्त जांच तक वितरण नही करना बताया।

इस प्रकार राशन डीलर द्वारा उक्त अनियमितताओं कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1997 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लघन्न करना पाये जाने का कथन कर डीलर का प्राधिकार पत्र इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 17 दिनांक 02.01.2021 द्वारा निलम्बित किया गया, प्रकरण अनियमितताओं के सम्बध में अपना जबाव प्रस्तुत करने हेतु नोटिस क्रमांक 69 दिनांक 15.01.2021 जारी किया गया, राशन डीलर अपीलांट द्वारा दिनांक 12.04.2021 को इन कथनों के साथ अपना जबाव नोटिस पेश किया कि :–

1. बरसात हो जाने के कारण मेरी मूल दुकान तक राशन की गाडियॉ रास्ता खराब हो जाने के कारण नहीं पहुॅच सकती थी एवं खेरली के ग्राम पंचायत नगला बीधौरा के नाम खेरली में पंचायत का सरकारी खाद्यान्न भण्डार है जिसमें मैने सरपंच की अनुमति लेकर विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गोदाम में गेहूं उतरवा दिया।

2. 72 क्विंटल 15 किलो गेहूं व 32 किलो चीनी अधिक पाई गयी, उसका कारण वन नेशनल वन राशनकार्ड अभियान के योजना अनुसार आधारसीडिंग कराने एवं नये आधार बनवाने के लिए लोगों को ले जाकर बनवा रहा था, वितरण का समय कम बच जाने के कारण पोश मशीन से उपभोक्ताओं का ट्रांजक्शन कर दिया गया जिसमें मैं राशनकार्डधारियों को बाद में उपभोक्ताओं को दे दूॅगा।

जिला कलक्टर
धौलपुर

3. 824 किलो चना मौके पर कम इसलिए पाया गया कि आंगन बाडियों को ऑफ लाइन दे दिया गया जिसका ट्रांजक्शन पोश मशीन में नहीं हो पाया, 824 किलो चना ऑफ लाईन दिया गया है जिसकी मूल कॉपी हमारे पास है।

राशन डीलर द्वारा प्रस्तुत जबाव नोटिस के तथ्यों का अवलोकन करने पर जबाव संतोषजनक नहीं पाया जाना कथन अंकित कर और यह लिखते हुये कि समस्त साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन करने पर राशन डीलर द्वारा राशन वितरण में गंम्भीर अनियमितताऐं किया जाना प्रमाणित होता है अतः अपीलान्ट राशन डीलर की समस्त जमा शुदा अमानत राशि जब्त सरकार करते हुये अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 97/2018 निरस्त किये जाने का आक्षेपित निर्णय पारित किया गय। आक्षेपित आदेश विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व न्याय के सर्वमान्य सिद्वान्तों के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जबाव पर कोई गौर नहीं किया और ना ही उसका कोई निर्णय में विवेचन अंकित किया गया। आधीन न्यायालय द्वारा गुण दोषो पर विचार न किया जाकर आधीन न्यायालय का निर्णय मैरिट का आदेश नहीं है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रथक से प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के हक में जारी प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर अपील की पत्रावली के साथ संलग्न की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि 72 क्विंटल 15 किलो गेहूं व 32 किलो चीनी अधिक पाई गयी, उसका कारण वन नेशनल वन राशनकार्ड अभियान के योजना अनुसार आधारसीडिंग कराने एवं नये आधार बनवाने के लिए लोगों को ले जाकर बनवा रहा था, वितरण का समय कम बच जाने के कारण पोश मशीन से उपभोक्ताओं का ट्रांजक्शन कर दिया गया जिसमें मैं राशनकार्डधारियों को बाद में उपभोक्ताओं को दे दिया गया। 824 किलो चना मौके पर कम इसलिए पाया गया कि आंगन बाडियों को ऑफ लाइन दे दिया गया जिसका ट्रांजक्शन पोश मशीन में नहीं हो पाया, 824 किलो चना ऑफ लाईन दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जबाव पर कोई गौर नहीं किया और ना ही उसका कोई निर्णय में विवेचन अंकित किया गया। आधीन न्यायालय द्वारा गुण दोषो पर विचार न किया जाकर आधीन न्यायालय का निर्णय मैरिट का आदेश नहीं है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आक्षेपित आदेश विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व न्याय के सर्वमान्य सिद्वान्तों के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के

जिला कलक्टर
धौलपुर

सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे एवं प्राधिकार पत्र को वहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुये कथन किया कि वक्त निरीक्षण बदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बदरैठा एफ.पी.एस. कोड 9718 की उचित मूल्य दुकान ग्राम खेरली ग्राम पंचायत नगला विधौरा के खाद्यान्न भण्डारण गोदाम से संचालित होना बताया मौके पर ग्राम खेरली ग्राम पंचायत नगला विधौरा के खाद्यान्न भण्डारण गोदाम में रखे स्टॉक का पोस मशीन संख्या 9718 व 9719 के रिकॉर्ड तथा जनवरी 2021 के चालान संख्या CHAW00005726856 के अनुसार भौतिक सत्यापन किया जिसमें मौके पर 72.15 क्विंटल गेंहू व 22 किलोग्राम चीनी मौके पर अधिक पायी गयी तथा 824 किलोग्राम चना मोके पर कम मिला। बदरैठा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड बदरैठा एफ.पी.एस. कोड 9718 द्वारा माह दिसम्बर 2020 के वितरण में उपभोक्ताओं का पॉश मशीन से 99.57 क्विंटल गेंहू व 26 किलोग्राम चीनी का वितरण करना परन्तु भौतिक रूप से उन्हें राशन सामग्री वक्त जांच तक वितरण नही करना पाया गया है। अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान को आदेश दिनांक 02.01.2021 द्वारा अग्रिम आदेशों तक जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा निलम्बित किया गया साथ ही अपीलान्ट द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बध में अपना जबाव प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 05.01.2021 एवं 31.03.2021 को नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 12.04.2021 को अपना जबाव प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जबाव के बिन्दुओं के सम्बध में अपीलान्ट द्वारा वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये जिनके अभाव में अपीलान्ट का जबाव सन्तोषजनक सिद्व नहीं होने पर अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघन करने एवं गम्भीर अनियमितता करने के कारण अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो सही है। अतः अपीलान्ट की अपील निरस्त फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 12.04.2021 के विरूद्व पेश की है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रवर्तन अधिकारी धौलपुर द्वारा दिनांक 21.04.2021 को प्रस्तुत वस्तुस्थिति की रिपोर्ट का अवलोकन किया। पत्रावली एवं रिपोर्ट के अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि दिनांक 02.01.2021 को अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान कोड नम्बर 9718 की जॉच में प्राप्त अनियमितताओं यथा अप्राधिकृत स्थल से राशन वितरण, भौतिक सत्यापन में रिकार्ड से अधिक 72.15 क्वि.गेहूं तथा 22 किग्रा चीनी प्राप्त होने, माह दिसम्बर 2020 के वितरण में 99.57 क्वि. गेहूं तथा 26 किग्रा चीनी के ट्रांजेक्शन होने परन्तु उपभोक्ताओं के उक्त गेहूं नहीं देने पर उक्त दुकान का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। राशन डीलर को जारी नोटिस के जबावसे असंतुष्ट होकर जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा उक्त को जारी प्रधिकार–पत्र दिनांक

जिला कलक्टर
धौलपुर

12.04.2021 को निरस्त किया गया है। दिनांक 07.01.2021 व 08.01.2021 को तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक बाडी द्वारा ग्राम पंचायत बदरैठा के ग्राम मावली का नगला में जगवीर पुत्र ज्ञानसिंह के मकान में एफसीआई मार्का पीडीएस के ग्रेहूं को जब्त किया। उक्त कुल 125.33 क्वि. गेहूं (66 एफसीआई मार्का कटटे बजन 32.62 क्वि. तथा खुला गेहूं बजन 92.71 क्वि गेहूं) तथा दिनांक 02.01.2021 के 72.15 क्वि. अतः कुल 197.48 के एवज में उचित मूल्य दुकानदार जीएसएस बदरैठा के विरूद्व दिनांक 15.01.2021 को प्राथमिकी दर्ज करायी गई है। उक्त गेहूं यथा 72.15 क्वि. तथा 125.33 क्वि. के सबंध में तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष धारा 6ए में दो प्रकरण दर्ज कराये गये थे जिनका निस्तारण दिनांक 27.12.2022 को मुकदमा नम्बर 01/2021 तथा 02/2021 द्वारा जब्तशुदा गेहूं को राजसात किया जा चुका है। अपीलान्ट ने अपने कथनो के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे उसके कथनों की पुष्ठि होती हो। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण में गम्भीर अनियमितताऐं कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्रधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लधंन मानते हुये अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी धौलपुर को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर, धौलपुर